



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1

*PM SHREE Kendriya Vidyalaya, No.1*

आयुध निर्माणी इस्टेट इटारसी (म.प्र.)-461122

Ordnance Factory Estate, Itarsi, M.P 461122

Tele: 07572-262561/262661

Email: [kvitarasi@ymail.com](mailto:kvitarasi@ymail.com)

Website: [www.no1itarasi.kvs.ac.in](http://www.no1itarasi.kvs.ac.in)

फा०14084/केविक्रं.1इटारसी/2024-25/2041

दिनांक: 13.03.2025

### नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आयुध निर्माणी, इटारसी में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री कि नीलामी की जानी है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी में दिनांक 22.03.2025 (शनिवार) को समय पूर्वाह्न 11:00 बजे, केन्द्रीय विद्यालय क्रं.1 आयुध निर्माणी, इटारसी के प्रांगण में नीलामी प्रक्रिया में पंजीकरण के उपरांत शामिल हो सकते हैं।

नीलाम की जाने वाली सामग्रियों के बारे में विस्तृत जानकारी केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालयीन समय प्रातः 09:00 बजे से 02:00 बजे की अवधि में प्राप्त की जा सकती है। नियम एवं शर्तों के लिए केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आयुध निर्माणी, इटारसी के सूचना पटल/वेबसाइट [www.no1itarasi.kvs.ac.in](http://www.no1itarasi.kvs.ac.in) के (Announcement Area) का अवलोकन करें।


(मनीष तुली)  
प्राचार्य/Principal  
केन्द्रीय विद्यालय क्रं.1, इटारसी  
Kendriya Vidyalaya No 1, Itarsi

वितरण:-

1. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय भोपाल संभाग को इस अनुरोध के साथ की उपरोक्त सूचना को उनके विद्यालय सूचना पटल पर चस्पा करें।
2. सूचना पटल, केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आयुध निर्माणी, इटारसी।
3. केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आयुध निर्माणी, इटारसी के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नियम एवं शर्तें:-

1. उच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था जो भी नियमानुसार हो, को अनुपयोगी सामग्री बेची जाएगी।
2. सफल बोलीकर्ता द्वारा बोली की पूर्ण राशि उसी दिन केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आ.नि.इटारसी के विद्यालय विकास निधि के खाते में जमा करनी होगी।
3. नीलामी योग्य वस्तुओं का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालयीन समय प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे की अवधि में किया जा सकता है।
4. समस्त दस्तावेज/औपचारिकताओं की कार्यवाही के उपरांत उच्च बोलीदाता को सामग्री सुपुर्द की जावेगी।
5. सफल बोलीदाता को दो दिवस के अंदर सामग्री को व्यक्ति खर्च पर हटाना होगा। अन्यथा राशि 2,000/- अतिरिक्त प्रत्येक दिवस के लिए दंड स्वरूप किराया वसूला जायेगा।
6. यदि सफल बोलीदाता उसी दिन और विस्तारित अवधि यथा दो दिवस के अंदर सामग्री को नहीं उठाते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही यथा सामग्री को पुनः बेचने की कार्यवाही उनके स्वयं के लागत पर की जावेगी।
7. बोलीदाता एवं केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आ.नि.इटारसी के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आ.नि.इटारसी का सर्वमान्य होगा।
8. नीलामी की तिथि के दिन यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर संपन्न होगी।
9. विक्रय योग्य अनुपयोगी सामग्री जिनका भार किया जाना है को केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आ.नि.इटारसी के द्वारा निर्धारित धर्मकांटा पर वजन किया जावेगा। तथा धर्मकांटा तक सामग्री को ट्रक/वाहन से लाने एवं ले जाने का वहन एवं धर्मकांटे का शुल्क सफल बोलीदाता के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. नीलामी प्रक्रिया को बिना किसी कारण किसी भी समय रोकने एवं समाप्त करने का पूर्ण अधिकार केन्द्रीय विद्यालय, क्रं.1 आ.नि.इटारसी के पास होगा।

  
(समीप तुली)  
प्राचार्य/Principal  
केन्द्रीय विद्यालय क्र.1, इटारसी  
Central Vidyalaya No 1, Itar